सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 134 राँची, शुक्रवार, 21 माघ, 1938 (श०) / 10 फरवरी, 2017 (ई०)

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

3 फरवरी, 2017

संख्या-ख०नि०(विविध)-76/2015 (खण्ड)-357/एम०-- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन एवं जिला खनिज फाउण्डेशन (ट्रस्ट) नियमावली, 2016 क्रमशः झारखण्ड गजट के असाधरण अंक संख्या-854, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 एवं अंक संख्या-218, दिनांक 23 मार्च, 2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसमें खनन प्रभावित क्षेत्र के विकास एवं कल्याण हेतु प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के मार्गदर्शन के अनुसार योजनाओं के चयन, वार्षिक योजना का अनुमोदन, परियोजना की स्वीकृति के साथ न्यास कोष से राशि विमुक्ति की शक्ति, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण संबंधित प्रावधान सन्निहित है । तदनुसार जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिए शासी परिषद एवं प्रबंधकीय समिति का गठन सभी जिलों में किया जा चुका है ।

2. मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा राज्य एवं केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के स्वीकृति एवं राशि के आवंटन के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसमें उपायुक्तों के द्वारा अधिकतम 01 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति देने की शक्ति प्रत्यायोजित है । चूँकि जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के तहत कई योजनाएँ

में 01 करोड़ से अधिक राशि भी होने की संभावना है । इस क्रम में विभिन्न उपायुक्तों के द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के तहत योजनाओं का DFR तैयार करने तथा तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के बिन्दु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है । जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के अन्तर्गत PMKKKY के तहत योजनाओं का चयन, वार्षिक योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पूर्णतः जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में प्राप्त राशि के अन्तर्गत न्यास शासी परिषद/प्रबंधकीय समिति के अधीन है ।

3. जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट में प्राप्त राशि से PMKKKY के मार्गदर्शन के अनुसार चिन्हित योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन निम्न प्रकार से किया जाएगा:-

i. योजना का चयन, प्राथमिकता निर्धारण, योजना का Shelf तैयार करना आदि कार्य जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की अधिसूचना, 2015 एवं नियमावली, 2016 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा किया जाएगा ।

ii. योजना का डी०पी०आर० संबंधित तकनीकी विभाग/प्रमण्डल/एजेन्सी द्वारा **PWD Code** एवं अन्य विभागीय मार्गदर्शन (Guidelines)/प्रावधानों के तहत तैयार किया जाएगा ।

iii. DPR पर PWD Code के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

iv. तकनीकी अनुमोदन के उपरांत DPR पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के आलोक में एक करोड़ रूपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी । परन्तु एक करोड़ से अधिक एवं पाँच करोड़ रूपये तक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रमंडलीय आयुक्त के स्थान पर DMFT के प्रबन्धकीय समिति द्वारा दी जाएगी । पाँच करोड़ से अधिक राशि के लिए प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित तकनिकी विभाग द्वारा अपने विभागीय योजनाओं के अनुरूप ही मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी । धन राशि का आवंटन एवं व्यय की कार्रवाई हेतु प्रबंधकीय समिति के अध्यक्ष-सह-उपायुक्त के द्वारा आदेश निर्गत किया जाएगा ।

v. योजना का क्रियान्वयन संबंधित तकनीकी विभाग/प्रबंधकीय समिति द्वारा नामित एजेन्सी के माध्यम से **PWD Code** के प्रावधान के अनुरूप पारदर्शी तरीके से किया जाएगा ।

vi. योजना पूरी होने के पश्चात **Completion Certificate** संबंधित तकनीकी विभाग/कार्य एजेन्सी के द्वारा दिया जाएगा एवं तदोपरान्त कार्य के भौतिक सत्यापन के पश्चात जिला प्रशासन को हस्तगत करायेंगे । योजनाओं का रख रखाव, संचालन, मरम्मति आदि कार्य संबंधित प्रशासी विभाग/उपायुक्त के द्वारा विभागीय दिशा-निदेश के अनुरूप किया जाएगा ।

4. **योजना के क्रियान्वयन हेतु राषि आवंटन प्रक्रिया:-**

i. स्वीकृत योजनाओं के लिए राशि का हस्तांतरण DMFT कोष से संबंधित तकनीकी विभाग के Deposit शीर्ष में संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रबंधकीय समिति के द्वारा किया जाएगा ।

ii. कार्यपालक अभियंता द्वारा इस राशि को संबंधित Deposit शीर्ष में संबंधित कोषागार में जमा किया जाएगा ।

iii. जमा कार्य के रूप में योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा ।

iv. इस मद में प्राप्त राशि का विचलन किसी अन्य योजना के तहत किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा ।

v. झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 में स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन संबंधित प्रमण्डल द्वारा किया जाएगा ।

vi. Deposit Work के तहत कार्यान्वित योजनाओं पर PWD Code के तहत देय विभागीय स्थापना व्यय देय नहीं होगा ।

5. **पर्यवेक्षण एवं निगरानी:-**

i. योजना का पर्यवेक्षण DMFT के प्रावधान एवं झारखण्ड PWD Code की अधिसूचना, 2015 एवं नियमावली, 2016 के संसुगत प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा ।

ii. संबंधित कार्यपालक अभियंता DMFT नियमावली, 2016 में प्रावधानित अंकेक्षण संबंधी प्रावधानों के आलोक में आवश्यक कागजात अंकेक्षण टीम को उपलब्ध कराएगें ।

iii. PWD Code, 2012, PWD Account Code एवं झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के आलोक में लेखा संधारण करेंगें एवं अंकेक्षण हेतु सभी प्रक्रियाओं का पालन करेंगें और आवश्यकतानुसार दस्तावेज उपलब्ध करायेंगें ।

iv. DMFT स्कीम का MPR (मासिक प्रगति प्रतिवेदन) विहित प्रपत्र में उपायुक्त-सह-अध्यक्ष DMFT प्रबंधकीय समिति को संबंधित कार्यपालक अभियंता/कार्य एजेन्सी के द्वारा नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा ।

v. वार्षिक लेखा तथा वार्षिक प्रगति भी DMFT को संबंधित कार्यपालक अभियंता/कार्य एजेन्सी द्वारा समर्पित की जाएगी ।

vi. DMFT शासी परिषद योजना का मुख्य नियंत्री निकाय होगा । DMFT के अध्यक्ष मुख्य नियंत्री पदाधिकारी होगें ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रोबिन टोप्पो,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 134--50